अति–आवश्यक/स्मरण पत्र द्वितीय

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– राजपत्रित/सामान्य/प–10/2013/429 दिनांक 31/10/13

समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन–जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर/
कोटा/अजमेर/भरतपुर।

विषय : राजपत्रित अधिकारियों के बकाया पेंशन प्रकरणों की सूचना भिजवाने बाबत।
सन्दर्भ : इस कार्यालय का पूर्व समसंख्यक पत्र क्रमांक 234 दिनांक 09.04.13, 246 दिनांक 18.04.13

––– : : ––– : : –––

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर लेख है कि राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर द्वारा बकाया पेंशन प्रकरणों की सूचना निम्न प्रोफार्मो में चाहा जाने पर आपके अधीन कार्यालय में बकाया पेंशन प्रकरणों की सूचना अधो–हस्ताक्षरकर्त्ता को फैक्स द्वारा अपने स्तर से भिजवाने हेतु लिखा गया था जो आज दिवस तक आपके स्तर से अपेक्षित है।

जैसाकि आपको विदित है कि :–

1. राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अध्याय छह के नियमों के अनुसार किसी राज्य कर्मचारी/अधिकारी की सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पूर्व उसके पेंशन प्रकरण तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जानी चाहिए।
2. राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 81(ग) की अनुपालना में पेंशन कुलक (प्रपत्र–5) अधिकारी/कर्मचारी से सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व प्राप्त कर अन्य औपचारिकताऐं पूर्ण कर नियम 83(4) की अनुपालना में सेवानिवृत्ति के छह माह पहले पेंशन प्रकरण एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग को भेजा जाना चाहिए।
3. राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) (अमेण्डमेन्ट) नियम, 2004 द्वारा संशोधित नियम 89 के अनुसार सेवानिवृत्ति संबंधित समस्त परिलाभ भुगतान देय होने की तिथि से 60 दिन के अन्दर भुगतान नहीं होने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को 09 प्रतिशत ब्याज देय है।

अतः पत्र प्राप्ति के तीन दिवस में उक्त सूचना अधो–हस्ताक्षरकर्त्ता को निम्न प्रोफार्मा में फैक्स/पत्र वाहक द्वारा भिजवावें।

प्रत्येक माह की 05 तारीख को नियमित रूप से उक्त सूचना भविष्य में भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि इसकी प्रभावी ढंग से मोनिटरिंग सम्भव हो सकें। कृपया ध्यान रखें कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गम्भीरता से लिया जावेगा।

कृ०पृ०उ०

1. जिन मामलों में विभागीय कार्यवाही विचाराधीन होने से पेंशन प्रकरण तैयार नहीं किये गये :–

क्र. सं.	नाम/ पद सेवानिवृत्त /मृतक कर्मचारी	सेवानिवृत्ति /मृत्यु तिथि	प्रोवीजनल पेंशन स्वीकृति दिनांक	अनुशासनात्मक अधिकारी जिसके द्वारा चार्जशीट जारी की गई हैं।	चार्जशीट जारी करने की तिथि	किस नियम के तहत चार्जशीट दी गई	देरी का कारण तथा निस्तारण की सम्भावित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8

2. अन्य विचाराधीन पेंशन प्रकरण जो अधिकारी/कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के दो माह से अधिक समय से विचाराधीन है :–

क्र. सं.	नाम पेंशनर, पद एवं अन्तिम पदस्थापन	कार्यालय का नाम (जहां से प्रकरण तैयार होकर पेंशन विभाग को प्रेषित किया जाना है)	सेवानिवृत्ति /मृत्यु तिथि	प्रोवीजनल पेंशन स्वीकृत हो गई हो तो दिनांक	प्रकरण पेंशन विभाग को भेजने में देरी हुई हो तो कारण
1	2	3	4	5	6

पत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– राजपत्रित/सामान्य/प–10/2013/ 429 दिनांक : 21/10/2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, राजस्थान।
2. समस्त निदेशक (ईएसआई), राजस्थान/भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, जयपुर।
3. समस्त मुख्य चिकत्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
5. डीलिंग सहायक, मुख्यालय सीट, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वैबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।